FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

साधाराम बनाम डूंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० अपील नं. 347/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/12/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछपालराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/01/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/01/2020	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भेजे गये, जो नहीं एडी पुन:। अध्यक्ष श्रीमान पीठासीन अधिकारी स्थानीय कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 11/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested

वाद/2020/55
प्रार्थी
लाधाराम पुत्र रूपाराम

11/2/2020 प्रार्थी वकील उप०/ विपक्षीगण के नोटिस पूर्व में तामील हुई एवं ओपी गये जिनको करीब माह (30 दिन) से भी अधिक हो चुका है लेकिन विपक्षीगण की ओर से कोई अधिवक्ता या स्वयं अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खेत मेड़-मेड़ आये हुए हैं तथा प्रार्थी व विपक्षीगण के खेतों के बीच बनी पुरानी नालों के ढाणों को लेकर आंधियों की वजह से मेड़ मिल जाते हैं तथा वर्षात होने पर प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच मेड़ों के कब्जा काश्त को लेकर विवाद रहता है तथा उनके खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। प्रार्थी उनके खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश करवाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थी का पैमाइश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, पैमाइश आदेश किया जावे।

अतः ~~[illegible]~~ प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गड़ा के कानूनगो व भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कार्मिक नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप स्वयं या अधीनस्थ निरीक्षक से प्रार्थी के खेत की पक्की पैमाइश मौके पर शुल्क जमा करवाकर करें, तथा पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो, पत्रावली मिसल शुमार हो, दर्ज रजिस्टर काबिज हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
11.2.2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः–11/02/2020

क्र/वाद/2020/55

प्रार्थी — बनाम — विप्रार्थीगण

लाधाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट
निवासी पानादेवड़ा खारापार

उगराराम पुत्र रूपाराम वगैरा
निवासी पानादेवड़ा खारापार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 347/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पानादेवड़ा पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 25, 116/25 रकबा क्रमशः 30.04, 40.12 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/56 to 60

दिनांकः–11/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी खारापार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लाधाराम पुत्र रूपाराम
4. विप्रार्थीगण उगराराम पुत्र रूपाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested